



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सावेज पुत्र रियाजू के ग्राम काठा में बने मकान कीमत लगभग 02.32 लाख रुपये की सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 25.09.2022 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 506/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बागपत पुलिस द्वारा अभियुक्त सावेज पुत्र रियाजू निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत की ग्राम काठा मे रिहायसी भूमि 23.45 वर्ग मीटर पर बने मकान जिसकी अनुमानित कीमत करीब 02.32 लाख रुपये को जब्त कर श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर बागपत को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया । अभियुक्त सावेज शातिर प्रवृत्ति का अपराधी है, इसके विरुद्ध लूट, हत्या का प्रयास गैंगस्टर अधि0 आदि के 07 मुकदमें दर्ज हैं । अभियुक्त सावेज उपरोक्त थाने का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसका हिस्ट्रीशीट नं0 1145/ए है ।



अभियुक्त सावेज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:- (H.S NO.- 1145A)

1-मु0अ0सं0 1113/2020 धारा 394 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 1124/2020 धारा 307 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 1128/2020 धारा 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना बड़ौत जनपद बागपत

4-मु0अ0सं0 1129/2020 धारा 411/414 भादवि थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

5- मु0अ0सं0 793/21 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

6-मु0अ0सं0 506/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना कोतवाली बागपत।

7- मु0अ0सं0 800/21 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 25.09.2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 248/2022 धारा 324/307/504 भादवि में वांछित एक अभियुक्ता सहित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.09.2022 को थाना दोघट पर वादी श्री सोरणपाल सिंह पुत्र अतल सिंह निवासी हजूरबाद गढी थाना सिंघावली अहीर ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.सौरभ पुत्र सतवीर व 02 महिला निवासीगण ग्राम बामनौली थाना दोघट ने उसकी लडकी के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से पेट



में चाकू मार दिया, जिससे उसकी लडकी गम्भीर रूप से घायल हो गई। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 248/2022 धारा 324/307/504 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 248/2022 धारा 324/307/504 भादवि में वांछित एक अभियुक्ता सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सौरभ पुत्र सतवीर निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत।

2- एक महिला।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री रामकुमार

2- का0 951 पिताम्बर

3-म0का0 776 सोनी



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 917/22 धारा 407/411 भादवि का सफल अनावरण करते हुए, एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक ट्रक बरामद ।

कार्यवाही-

दिनांक 23.09.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री बाबू पुत्र इरफान निवासी ग्राम हर्षा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ ने सूचना दी कि उसके ट्रक (ट्राला सहित, 22 टायरा) नं0 UP-15ET-7024 को उसके परिचालक नदीम पुत्र अब्दुल निवासी हर्षा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ द्वारा चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 917/22 धारा 381 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान व बरामदगी के आधार पर धारा 381 भादवि का विलोपन कर धारा 407/411 भादवि की वृद्धि की गई ।

कार्यवाही-



बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरो/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 917/22 धारा 407/411 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक सिगना घोड़ा ट्रक (ट्रोला सहित, 22 टायरा) नं0 UP-15ET-7024 बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- नदीम पुत्र अब्दुल निवासी हर्षा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरण-

- एक सिगना ट्रक (ट्रोला सहित, 22 टैरा) नं0 UP-15ET-7024

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री दीपक कुमार कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-का0 885 हरिओम कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 25.09.2022

थाना रमाला पुलिस ने जिलाबदर व मु0अ0सं0 271/2022 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व मु0अ0सं0 272/2022 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध छूरी बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये गये तथा थाना रमाला के मु0अ0सं0 271/2022 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व मु0अ0सं0 272/2022 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) में प्रकाश में आये वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 02 अवैध छूरी बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना रमाला पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के बाद पूर्व में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. शकील पुत्र इसराईल निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।
2. जाकिर पुत्र इसराईल निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध छूरी ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास -

जाकिर पुत्र इसराईल का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0स0 122/16 धारा 392/411 भादवि रमाला जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0स0 123/16 धारा 307 भादवि रमाला जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0स0 125/16 धारा 25 आयुध अधि0 रमाला जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0स0 142/16 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 रमाला जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0स0 406/16 धारा 3/4 गुण्डा अधि0 रमाला जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0स0 08/18 धारा 394/302/34 भादवि रमाला जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0स0 22/18 धारा 25 आयुध अधि0 रमाला जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0स0 453/18 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 रमाला जनपद बागपत ।
- 9-मु0अ0स0 271/22 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 रमाला जनपद बागपत ।
- 10-मु0अ0स0 272/22 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड) रमाला जनपद बागपत ।
- 11-मु0अ0स0 278/22 धारा 3/10 यू0पी0 गुण्डा एक्ट रमाला जनपद बागपत ।
- 12-मु0अ0स0 280/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट रमाला जनपद बागपत ।

शकील पुत्र इसराईल का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0स0 008/2018 धारा 394/302/34 भादवि रमाला जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0स0 254/12 धारा 302 भादवि कांधला जनपद शामली ।
- 3-मु0अ0स0 239/18 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 रमाला जनपद बागपत ।

4-मु0अ0स0 453/18 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 रमाला जनपद बागपत ।

5-मु0अ0स0 27/19 धारा 25 आयुध अधि0 रमाला जनपद बागपत ।

6-मु0अ0स0 271/22 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 रमाला जनपद बागपत ।

7-मु0अ0स0 272/22 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड़) रमाला जनपद बागपत ।

8-मु0अ0स0 277/22 धारा 3/10 यू0पी0 गुण्डा एक्ट रमाला जनपद बागपत ।

9-मु0अ0स0 279/22 धारा 4/25 आम्स एक्ट रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आरिफ अली ।

2-उ0नि0 श्री धीरज कुमार ।

3-है0का0 306 राजीव कुमार ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 25.09.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 326/22 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 326/22 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त तालिब को गिरफ्तार किया गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा पूर्व में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- तालिब पुत्र निजामूद्दीन निवासी मदीना कालोनी निकट रूडकी चुंगी जनपद मुजफ्फरनगर ।

हाल निवासी ग्राम तिलपनी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार ।

2-का0 44 संजीव कुमार ।

3-का0 395 ललित रौसा ।

4-का0 406 रविन्द्र भाटी ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 25.09.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 238/22 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 238/22 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित प्रकाश में आये अभियुक्त भूरा पुत्र साबू को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा पूर्व में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-भूरा पुत्र साबू निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 भुरेन्द्र सिंह चौहान थाना सिंघावली अहीर ।

2-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान ।

3-का0 357 अनुज शर्मा ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 25.09.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

1-रहीसू पुत्र शकूर निवासी ग्राम सैडभर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री रजत कुमार ।
- 2- का0 594 सरफराज खान ।
- 3- का0 1076 विकास यादव ।